



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2014/ज्यैष्ठ 7, 1936

No. 283]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2014/JYAISTHA 7, 1936

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2014

सा. का. नि. 363 (अ).— केन्द्र सरकार, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) के खण्ड 12 के उप-खण्ड (1) और (2) तथा दिनांक 22.03.2012 को सा० का० नि० 240(अ) द्वारा संशोधित केंद्रीय वक्फ परिषद नियम, 1998 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) में विभिन्न पदों के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय वक्फ परिषद (समूह 'क, ख और ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय पद) भर्ती नियमावली, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. अनुप्रयोजन — यह नियम अनुसूची, कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट नियमों के सलंगन पदों पर लागू होंगे।
3. पदनाम, पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. प्रारंभिक गठन :- (1) इन नियमों के लागू होने से पहले नियमित आधार पर नियुक्त कार्मिक को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त माना जाएगा।
(2) प्रारंभिक गठन के पद से पहले उप-नियम (1) में उल्लिखित कार्मिक की लगातार एवं नियमित सेवा की गणना प्रोन्नति, नियमितिकरण और सेवा काल में पेंशन हेतु परीक्षा अवधि अरहक सेवा के प्रयोजन से की जाएगी।
6. निरर्हता : वह व्यक्ति -
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **वरिष्ठता पर विचार**—जहां ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी पात्रता सेवा से आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम नहीं हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ-साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।
8. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और केंद्र सरकार के अनुमोदन से परामर्श के साथ इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
9. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात, आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

'अनुसूची'

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
1	2	3	4	5	6	7	8
सचिव	1*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100 रु0 + 7600 रु0 ग्रेड वेतन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
9	10	11	12	13
लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा स्वायत्त और सांविधिक निकायों आदि में कार्यरत अधिकारी। (क) (i) नियमित आधार पर मूल काडर और विभाग में सदृश पद को धारण किया हो, या, (ii) वेतन बैंड-3 रु.15600-39100 तथा ग्रेड वेतन '6600 के पद पर 5 वर्ष से नियमित आधार पर तैनात हो तथा अर्हताएं और अनुभव प्राप्त किया हों; (ख) अर्हताएं और अनुभव	(i) सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय—अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय—सदस्य (iii) संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय—सदस्य	लागू नहीं

		<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष;</p> <p>(ii) प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी मामलों में कम-से-कम 5 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(i) उर्दू भाषा में कार्य करने का ज्ञान;</p> <p>(ii) अरबी और फारसी में पढ़ने और लिखने की क्षमता;</p> <p>(iii) निर्माण कार्य अथवा शिक्षा क्षेत्र अथवा अन्य समाज कल्याण गतिविधियों का अनुभव;</p> <p>नोट: 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को '56 वर्ष से अधिक नहीं होगी'।</p> <p>नोट: 2- प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरान्तरण के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p>		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
2. सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + 4800 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13
लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा स्वायत्त और सांविधिक निकायों आदि में कार्यरत अधिकारी। (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद को धारण किया हो, या,	(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद - अध्यक्ष (ii) उप-सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य (iii) अवर सचिव,	लागू नहीं

		<p>(ii) ग्रेड वेतन रु.4200 अथवा समतुल्य के पद पर 6 वर्षों से नियमित आधार पर तैनात हो तथा अर्हताएं और अनुभव प्राप्त किया हों; (ख) अर्हताएं और अनुभव अनिवार्य: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; (ii) स्थापना और प्रशासन से संबंधित कार्यों में 5 वर्ष का अनुभव। वांछनीय : (i) फारसी और अरबी में प्राथमिक ज्ञान; (ii) उर्दू में निपुणता; (iii) सरकारी नियमों, विनियमों और कार्यप्रणाली का अच्छा ज्ञान।</p> <p>नोट: 1— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य संदर्भ बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष होगी।</p> <p>नोट: 2— प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरान्तरण के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p>	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य
--	--	--	--------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
3. सहायक विधि अधिकारी	1*(2013) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + 4800 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13
लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	(क) प्रोन्नति के लिए: वेतन बैंड-2 रु.9300-34800 + ग्रेड वेतन रु.4200 में विधि सहायक/सहायक (विधि) में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा हो।	(i) सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद - अध्यक्ष (ii) उप-सचिव अथवा अवर सचिव,	लागू नहीं

	<p>(ख) प्रतिनियुक्ति के लिए: केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा स्वायत्त अथवा सांविधिक निकायों आदि में कार्यरत अधिकारी।</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद को धारण किया हो, या, (ii) ग्रेड वेतन रु.4200 के पद पर 6 वर्षों से नियमित आधार पर तैनात हो अथवा समतुल्य तथा अर्हताएं और अनुभव प्राप्त किया हों;</p> <p>(ख) अर्हताएं और अनुभव अनिवार्य: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री; (ii) विधि कार्य का 5 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय : (i) फारसी और अरबी में प्राथमिक ज्ञान; (ii) कम्प्यूटर साक्षरता; (iii) सरकारी नियमों और प्रशासन/स्थापना प्रणाली का अच्छा ज्ञान; (iv) वक्फ अधिनियम और राजस्वय कानून की पर्याप्त जानकारी; (iv) उर्दू में निपुणता।</p> <p>नोट:1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष होगी।</p> <p>नोट: 2- प्रोन्नती अथवा प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरानुयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p>	<p>अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य (iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य</p>
--	---	--

2201-45714-2

1	2	3	4	5	6	7	8
4. विकास अधिकारी	1*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + 4800 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13
लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>(क) प्रोन्नति: वेतन बैंड-2 रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4200 में सहायक में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा हो।</p> <p>(ख) प्रतिनियुक्ति: (क) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा स्वायत्त और सांविधिक निकायों आदि में कार्यरत अधिकारी।</p> <p>(i) नियमित आधार पर सदृश अथवा उससे उच्च पद को धारण किया हो, या,</p> <p>(ii) ग्रेड वेतन रु. 4200 के पद पर 6 वर्षों से नियमित आधार पर तैनात हो तथा अर्हताएं और अनुभव प्राप्त किया हों;</p> <p>(ख) अर्हताएं और अनुभव अनिवार्य:</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री;</p> <p>(ii) विकास कार्यों के निर्माण में पर्यवेक्षी की क्षमता में कम-से-कम 3 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(i) प्रशासन और लेखों का अनुभव;</p> <p>(ii) उर्दू में कार्यज्ञान;</p> <p>(iii) फारसी और अरबी पढ़ने की क्षमता।</p> <p>नोट:1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष होगी।</p> <p>पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>नोट: 2- प्रोन्नती अथवा प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केन्द्रीय वेतन</p>	<p>(i) सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद - अध्यक्ष</p> <p>(ii) उप-सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य</p>	लागू नहीं

		आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरानुयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।		
--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
5. सहायक लेखा अधिकारी	1*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + 4800 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13
लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>(क) प्रोन्नति: ग्रेड वेतन रु.4200 में लेखाकार/सहायक (लेखा) में छह वर्ष की नियमित सेवा हो।</p> <p>(ख) प्रतिनियुक्ति: (क) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा स्वायत्त अथवा सांविधिक निकायों आदि में कार्यरत/अधिकारी।</p> <p>(i) नियमित आधार पर सदृश अथवा उससे उच्च पद को धारण किया हो, (ii) ग्रेड वेतन रु. 4200 के पद पर 6 वर्षों से नियमित आधार पर तैनात हो अथवा समतुल्य तथा अर्हताएं और अनुभव प्राप्त किया हों;</p> <p>(ख) अर्हताएं और अनुभव अनिवार्य: (i) सीए (इंटर) अथवा आईसीडब्ल्यूए उत्तीर्ण अथवा सीएफए अथवा एमबीए (वित्त) अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में डिग्री; (ii) कार्यालय/प्रतिष्ठित संस्थान में लेखा, बजट निर्माण, बजट नियंत्रण, प्राप्ति/स्टोर का रख-रखाव, आयकर, अंतिम लेखों का पांच वर्ष का अनुभव; (iii) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से लेखाओं का संचालन की क्षमता/कम्प्यूटर संचालन का अनुभव।</p> <p>वांछनीय : (i) सरकारी वित्तीय नियमों और</p>	(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद - अध्यक्ष (ii) उप-सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य (iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं

		<p>प्रशासनिक/स्थापना प्रक्रियाओं की जानकारी; (ii) दक्क अधिनियम का पर्याप्त ज्ञान; (iii) उर्दू में निपुणता।</p> <p>नोट: 1— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष होगी।</p> <p>पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>नोट: 2— प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरोन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p>		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
6. सहायक (लेखा)/ लेखाकार	3*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + 4200 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	अधिकतम 30 वर्ष (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) नोट: आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	अर्हताएं और अनुभव - अनिवार्य: (i) सीए (इंटर) अथवा आईसीडब्ल्यूए उत्तीर्ण अथवा सीएफए अथवा एमबीए (वित्त) अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में डिग्री; (ii) लेखाओं, बहीखाता- लेखन का व्यावहारिक ज्ञान और अंतिम लेखों, निवेश आदि का पांच वर्षों का अनुभव अथवा ग्रेड	लागू नहीं

						वेतन रु. 2400 पर कनिष्ठ लेखाकार में कार्यरत। वांछनीय : (i) फारसी और अरबी में प्राथमिक ज्ञान; (ii) वक्फ अधिनियम और नियमों तथा प्रक्रियाओं का ज्ञान और स्वतंत्र रूप से अंग्रेजी में पत्राचार करने की क्षमता; (iii) उर्दू में निपुणता।
--	--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: (i) वेतन बैंड-1 में ग्रेड वेतन '2400 में 10 वर्षों की नियमित सेवा के साथ लेखा लिपिक अथवा उच्च श्रेणी लिपिक 10 वर्षों की नियमित सेवा के साथ, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का लेखाओं संबंधित मामलों का अनुभव; (ii) कम्प्यूटर संचालन का पर्याप्त ज्ञान। नोट: 1- प्रतिनियोक्ता पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे। नोट: 2- प्रोन्नती अथवा भर्ती के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरोन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद - अध्यक्ष (ii) उप-सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य (iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
7. सहायक (विधि)	1*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रू0 + 4200 रू0 ग्रेड वेतन	लागू नहीं	अधिकतम 30 वर्ष (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है)	अर्हताएं और अनुभव - (क) अनिवार्य: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री; (ii) उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर	लागू नहीं

					<p>नोट: आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।</p>	<p>विधि व्यवसाय अथवा विधि मामलों से संबंधित कार्यालय में कार्य का पांच वर्ष का अनुभव। (ख) वांछनीय : (i) फारसी और अरबी का प्रारंभिक ज्ञान; (ii) वक्फ अधिनियम और नियमों तथा प्रक्रियाओं का ज्ञान और स्वतंत्र रूप से अंग्रेजी में पत्राचार करने की क्षमता; (iii) उर्दू में निपुणता।</p>
--	--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>प्रोन्नति:</p> <p>(i) वेतन बैंड-2 में ग्रेड वेतन रु. 2400 में कम-से-कम 10 वर्षों की नियमित सेवा के साथ उच्च श्रेणी लिपिक तथा 5 वर्ष का विधि मामलों संबंधी कार्य का अनुभव; (ii) कम्प्यूटर संचालन का पर्याप्त ज्ञान।</p> <p>नोट: 1- प्रतिनियोक्ता पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे।</p> <p>नोट: 2- प्रोन्नती अथवा भर्ती के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरान्तरण के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p>	<p>(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद - अध्यक्ष (ii) उप-सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य (iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य</p>	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
8. सहायक (विकास)/सहायक	1*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु.+ 4200 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	अधिकतम 30 वर्ष (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को	अर्हताएं और अनुभव - (क) अनिवार्य: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री;	लागू नहीं

	हो सकता है)				5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) नोट: आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	(ii) कम्प्यूटर का पर्याप्त ज्ञान, कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति। (ख) वांछनीय : (i) फारसी और अरबी का व्यावहारिक ज्ञान; (ii) वक्फ अधिनियम और नियमों तथा प्रक्रियाओं का ज्ञान और स्वतंत्र रूप से अंग्रेजी में पत्राचार करने की क्षमता; (iii) उर्दू में निपुणता।
--	-------------	--	--	--	--	---

9	10	11	12	13
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>प्रोन्नति:</p> <p>(i) ग्रेड वेतन रु.2400 के साथ कम-से-कम 10 वर्षों की नियमित सेवा के साथ उच्च श्रेणी लिपिक और</p> <p>(ii) कम्प्यूटर का पर्याप्त ज्ञान, कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति।</p> <p>वांछनीय:- कम्प्यूटर पर उर्दू में टंकण गति 25 शब्द प्रति मिनट।</p> <p>नोट: 1- प्रतिनियोक्ता पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे।</p> <p>नोट: 2- प्रोन्नती अथवा भर्ती के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरोन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p>	<p>(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद - अध्यक्ष</p> <p>(ii) उप-सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य</p>	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
9. आशुलिपिक	1*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु.+ 4200 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	अधिकतम 30 वर्ष (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) नोट: आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	अहर्ताएं और अनुभव - (क) अनिवार्य: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष। (ii) आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट लिखने की क्षमता: तथा (iii) कम्प्यूटर का पर्याप्त ज्ञान, कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति। (ख) वांछनीय : (i) कम्प्यूटर पर उर्दू में टंकण गति 25 शब्द प्रति मिनट; (ii) उर्दू में निपुणता। नोट : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	लागू नहीं

9	10	11	12	13
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: (क) अनिवार्य: (i) वेतन बैंड-1 में ग्रेड वेतन रु. 2400 के साथ कम-से-कम 10 वर्षों की नियमित सेवा के साथ स्टेनो टाईपिस्ट/उच्च श्रेणी लिपिक; (ii) आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट लिखने की क्षमता: तथा (iii) कम्प्यूटर का पर्याप्त ज्ञान, कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति।	(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद - अध्यक्ष (ii) उप-सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य (iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं

		<p>(ख) वांछनीय:- कम्प्यूटर पर उर्दू में टंकण गति 25 शब्द प्रति मिनट। नोट: 1- प्रतिनियोक्ता पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे। नोट: 2- प्रोन्नती अथवा भर्ती के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरान्तरण के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p>		
--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
10. ग्रंथालय, प्रलेखन तथा संदर्भ सहायक	1*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + 4200 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	अधिकतम 30 वर्ष (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक की छुट दी जा सकती है) नोट: आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	अर्हताएं और अनुभव - (क) अनिवार्य: (i) ग्रंथालय विज्ञान में डिग्री; (ii) विख्यात ग्रंथालय में कार्य करने का 5 वर्षों का अनुभव; (ख) वांछनीय : (i) विधि में डिग्री; (ii) फारसी और अरबी में कार्य ज्ञान; (iii) वक्फ विधि का ज्ञान; तथा (ii) उर्दू में निपुणता।	लागू नहीं

9	10	11	12	13
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: (i) ग्रेड वेतन रु. 2400 में 10 वर्षों की नियमित सेवा के साथ उच्च श्रेणी लिपिक; (ii) ग्रंथालय कार्य में 5 वर्षों का अनुभव; तथा (iii) ग्रंथालय विज्ञान में डिग्री; नोट: 1- प्रतिनियोक्ता पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे।	(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद - अध्यक्ष (ii) उप-सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य (iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं

		<p>2- प्रोन्नती अथवा भर्ती के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरान्तरण के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p>		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
11. सहायक प्रोग्रामर	1*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित) अननुसचिदीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु.+ 4200 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	अधिकतम 30 वर्ष (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक की छुट दी जा सकती है) नोट: आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	अर्हताएं और अनुभव - (क) अनिवार्य: (i) बीसीए अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में तीन वर्षों का डिप्लोमा/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; (ii) कम्प्यूटर एप्लीकेशन अथवा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तीन वर्षों का अनुभव; और (iii) अंग्रेजी में निपुणता। (ख) वांछनीय : हिंदी और उर्दू में कार्य ज्ञान; नोट: 1- पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक के लिए दूर रहने पर कारित रिक्तियों के केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्त या सांविधिक निकाय आदि के	लागू नहीं

						<p>अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकता है।</p> <p>(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया है; अथवा</p> <p>(ii) रु.2400 के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-2 में 5 वर्ष की नियमित सेवा अथवा समकक्ष; और</p> <p>(iii) सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं होना।</p> <p>नोट: 2- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>
--	--	--	--	--	--	---

9	10	11	12	13
दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	<p>(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद - अध्यक्ष</p> <p>(ii) उप-सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य</p>	लागू नहीं।

	2	3	4	5	6	7	8
12. उच्च श्रेणी लिपिक	3*(2014) * (कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु.+ 2400 रु.ग्रेड वेतन	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है)	अर्हताएं और अनुभव - (क) अनिवार्य: (i) मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष; और	लागू नहीं

					नोट: आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	(ii) सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी विभाग में न्यूनतम तीन वर्षों का पत्राचार अनुभव। (ख) वांछनीय : उर्दू में निपुणता।
--	--	--	--	--	---	---

9	10	11	12	13
दो वर्ष	प्रोन्नती द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>प्रोन्नति:</p> <p>(i) ग्रेड वेतन रु. 1900 में न्यूनतम 8 वर्षों की नियमित सेवा के साथ अवर श्रेणी लिपिक;</p> <p>(ii) मैट्रिक उत्तीर्ण; और</p> <p>(iii) कम्प्यूटर पर कार्य करने की जानकारी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान।</p> <p>नोट: 1- प्रतिनियोक्ता पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे।</p> <p>नोट: 2- प्रोन्नती अथवा भर्ती के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरान्तरण के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p>	<p>(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद - अध्यक्ष</p> <p>(ii) उप-सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य</p>	लागू नहीं।

1	2	3	4	5	6	7	8
13. लेखा लिपिक	3*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + 2400 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) नोट: आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	अर्हताएं और अनुभव - (क) अनिवार्य: (i) मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में डिग्री; (ii) लेखाओं के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव; (iii) कम्प्यूटर के माध्यम से लेखाओं के संचालन क्षमता; और (iv) उर्दू में निपुणता। (ख) वांछनीय : वक्फ अधिनियम और नियमों का ज्ञान।	लागू नहीं

9	10	11	12	13
दो वर्ष	प्रोन्नती द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>प्रोन्नति:</p> <p>(i) ग्रेड वेतन रु. 1900 में न्यूनतम 8 वर्षों की नियमित सेवा के साथ अवर श्रेणी लिपिक/लेखा लिपिक; और</p> <p>(ii) मैट्रिक उत्तीर्ण।</p> <p>नोट: 1- प्रतिनियोक्ता पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे।</p> <p>नोट: 2- प्रोन्नती अथवा भर्ती के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरान्तरण के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p>	<p>(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद - अध्यक्ष</p> <p>(ii) उप-सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य</p>	लागू नहीं।

1	2	3	4	5	6	7	8
14. अवर श्रेणी लिपिक	6*(2014) *कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु0 + 1900 रु0 ग्रेड वेतन	लागू नहीं	(जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) नोट: आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	<p>अर्हताएं आअनुभव -</p> <p>(क) अनिवार्य:</p> <p>(i) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष;</p> <p>(ii) कम्प्यूटर का पर्याप्त ज्ञान, कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति।</p> <p>(ख) वांछनीय :</p> <p>(i) कम्प्यूटर पर उर्दू में टंकण गति 25 शब्द प्रति मिनट; और</p> <p>(ii) उर्दू में निपुणता।</p>	लागू नहीं

9	10	11	12	13
दो वर्ष	प्रोन्नती द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>प्रोन्नति:</p> <p>(क) अनिवार्य:</p> <p>(i) ग्रेड वेतन रु. 1800 में वेतनमान</p>	<p>(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद - अध्यक्ष</p> <p>(ii) उप-सचिव अथवा</p>	लागू नहीं।

2201 57/14-5

		<p>5200-20200 में न्यूनतम 3 वर्षों की नियमित सेवा के साथ मैट्रिक उत्तीर्ण अधिकारी;</p> <p>(ii) कम्प्यूटर का पर्याप्त ज्ञान, कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति।</p> <p>(ख) वांछनीय :</p> <p>(i) कम्प्यूटर पर उर्दू में टंकण गति 25 शब्द प्रति मिनट; और</p> <p>(ii) उर्दू में निपुणता।</p> <p>नोट: 1- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>नोट: 2- प्रतिनियोक्ता पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे।</p> <p>नोट: 3- प्रोन्नती अथवा भर्ती के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरान्मयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p>	<p>अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य</p>	
--	--	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8
15. स्टेनो टाइपिस्ट	2*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + 1900 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) नोट: आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	अहरताएं और अनुभव - (क) अनिवार्य: (i) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष; (ii) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्ष का कम्प्यूटर कोर्स का डिप्लोमा अथवा समकक्ष; (iii) न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की दर से आशुलिपि; और (iv) कम्प्यूटर पर	लागू नहीं

						अंग्रेजी में टंकण 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति। (ख) वांछनीय : (i) कम्प्यूटर पर उर्दू में टंकण गति 25 शब्द प्रति मिनट; और (ii) उर्दू में निपुणता।
--	--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
दो वर्ष	प्रोन्नती द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: (i) ग्रेड वेतन रु.1800 में न्यूनतम 3 वर्षों की नियमित सेवा के साथ अधिकारी; (ii) मैट्रिक उत्तीर्ण; (iii) टंकण और उर्दू की जानकारी; और (iv) कम्प्यूटर में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम अथवा समकक्ष। नोट: 1- प्रतिनियोक्ता पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे। नोट: 2- प्रोन्नती अथवा भर्ती के लिए न्यूनतम अर्ह सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले, जब से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्समान, ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय इसके जहां एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरान्तरण के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद - अध्यक्ष (ii) उप-सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य (iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं।

1	2	3	4	5	6	7	8
16. डिस्पेच राइडर/ ड्राइवर-कम-डिस्पेच राइडर	2*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु.+ 1900 रु0 ग्रेड वेतन	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) नोट: आयु निर्धारित करने की निर्णायक	अर्हताएं और अनुभव - (क) अनिवार्य: (i) कार/तिपहिया स्कूटर चलाने के लिए वैध लाइसेंस; (ii) कार चलाने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव; (iii) अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू के	लागू नहीं

					<p>तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।</p> <p>ज्ञान के साथ मैट्रिक उत्तीर्ण; (ख) वांछनीय : (i) मोटर तंत्र की जानकारी। नोट: पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक के लिए दूर रहने पर कारित रिकित्तियों के केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्त या सांविधिक निकाय आदि के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकता है।</p>
--	--	--	--	--	---

9	10	11	12	13
दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	<p>(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद - अध्यक्ष</p> <p>(ii) उप-सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य</p>	लागू नहीं।

1	2	3	4	5	6	7	8
17. मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)	3*(2014) *(कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु.+ 1800 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) नोट: आयु निर्धारित करने	अर्हताएं और अनुभव - (क) अनिवार्य: मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समकक्ष अथवा आईटीआई उत्तीर्ण (सटीक अर्हताएं विज्ञापन में कार्य की जरूरतों के अनुसार विनिर्दिष्ट	लागू नहीं

					की तिथि प्राप्त अंतिम होगी।	निर्णायक आवेदन करने की तिथि	की जाएंगी)	नोट: पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक के लिए दूर रहने पर कारित रिक्तियों के केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्त या सांविधिक निकाय आदि के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकता है।
--	--	--	--	--	-----------------------------	-----------------------------	------------	--

9	10	11	12	13
दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	(i) सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद - अध्यक्ष (ii) उप-सचिव अथवा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य (iii) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं।

[फा. सं० 8/4/2010-वक्फ]
राकेश मोहन, संयुक्त सचिव

2201 5714-6

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th May, 2014.

G.S.R. 363 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 12 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995) and Rule 13 of the Central Waqf Council Rules, 1998, as amended by GSR 240(E) dated 22.03.2012, the Central Government hereby makes the following Rules for the various posts of the Central Waqf Council (CWC):-

1. **Short title and commencement** - (1) These Rules may be called the Central Waqf Council (Group 'A, B and C' Non-Gazetted, Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. **Application** - These Rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these Rules.
3. **Name of the posts, number of posts, classification, pay band and grade pay/pay scale** - The number of said posts, their classification, Pay Band and Grade Pay/Pay Scale as attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the aforesaid Schedule.
4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications** - The method of recruitment to the post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
5. **Initial Constitution** - (1) The personnel holding the posts on regular basis before the commencement of these Rules, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.
(2) The regular continuous service of personnel mentioned in the sub-rule (1) prior to the posts at the initial constitution shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension, if any, in the service.

6. Disqualification - No person,-

- (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts.

- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Consideration of Seniors - Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.**8. Power to relax –** Where the Governing Body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.**9. Saving –** Nothing in these Rules shall affect reservation, relaxation of age-limits and other concessions required to be provided for the special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Secretary	1*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-A (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band -3 Rs.15600 – 39100 plus Grade Pay of Rs.7600	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13
Not applicable	By Deputation	Officers working in Central Government or State Governments or Union Territories Administrations or Public Sector Undertaking or Autonomous or Statutory bodies etc. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the Parent Cadre or Department; or (ii) with 5 years regular service in posts in Pay Band-3 Rs. 15600-39100 with Grade Pay-Rs 6600 and possessing the prescribed qualifications and experience; (b) Qualifications and Experience. Essential: (i) A graduate degree or equivalent from a recognised University; (ii) Having at least 5 years experience of administrative, financial and legal matters Desirable: (i) Working knowledge of Urdu; (ii) Ability to read and write Arabic and	(i) Secretary, Ministry of Minority Affairs Chairman (ii) Joint Secretary, Ministry of Minority Affairs Member (iii) Joint Secretary, Ministry of Minority Affairs Member	Not applicable

		<p>Persian</p> <p>(iii) Experience in construction work or in the field of education or other social welfare activities;</p> <p>Note:1- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department shall ordinarily not exceed 4 years. The maximum age limit for appointment to deputation shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Assistant Administrative Officer	1 *(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-B (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band-2 Rs.9300 -34800 plus Grade Pay of Rs.4800	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13
Not applicable	By Deputation	<p>Officers from Central Government or State Government or Union Territories Administration or Public Sector Undertaking or Autonomous or Statutory bodies etc.</p> <p>(a)</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with 6 years regular service in posts with Grade Pay-Rs.4200 or equivalent and possessing the qualifications and experience;</p> <p>(b) Qualifications and Experience:</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Degree from a recognized University;</p> <p>(ii) Five years experience in work relating to establishment or administration.</p> <p>Desirable:</p>	<p>(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman</p> <p>(ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member</p> <p>(iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member</p>	Not applicable

2201 5714-7

		<p>(i) Elementary knowledge of Persian and Arabic;</p> <p>(ii) Proficiency in Urdu;</p> <p>(iii) Thorough knowledge of Government Rules, regulations and procedure.</p> <p>Note:1- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Departments shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment to deputation shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
3. Assistant Law Officer	1*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-B (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band -2 Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13
Not applicable	By Promotion failing which by Deputation	<p>(A) For Promotion: Legal Assistant/ Assistant (Legal) with minimum six years of experience in regular service in pay scale of Pay Band 2 Rs.9300-34800 plus grade pay Rs.4200.</p> <p>(B) For Deputation: Officers from Central Government or State Government or Union Territories Administration or Public Sector Undertaking or Autonomous or Statutory bodies etc.</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis or (ii) with 6 years regular service in posts in Grade Pay Rs. 4200 or equivalent and possessing the qualifications and experience</p> <p>(b) Qualification and Experience :</p> <p>Essential:</p>	<p>(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman</p> <p>(ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member</p> <p>(iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member</p>	Not applicable

		<p>(i) Bachelor Degree in Law from a recognized University;</p> <p>(ii) Five years experience of legal work</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Elementary knowledge of Persian and Arabic;</p> <p>(ii) Computer literacy;</p> <p>(iii) Knowledge of Government Rules and administrative/establishment procedure;</p> <p>(iv) Adequate knowledge of Waqf Act and Revenue Laws;</p> <p>(v) Proficiency in Urdu;</p> <p>Note:1- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Departments shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment to deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure bases on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
4. Development Officer	1*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-B (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band -2 Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13
Not applicable	By Promotion failing which by Deputation	<p>A) Promotion: Assistant with at least 6 years regular service in posts in Pay Band-2 Rs.9300-34800, Grade Pay - Rs.4200.</p> <p>B) Deputation: (a) Officers from Central Government or State Government or Union Territories Administration or Public Sector Undertaking or Autonomous or Statutory bodies etc. (i) holding analogous posts or above on regular basis, or (ii) with 6 years regular service in posts of Grade Pay-4200 or equivalent and possessing the qualifications and experience;</p> <p>(b) Qualifications and Experience:- Essential</p>	<p>(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman</p> <p>(ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member</p> <p>(iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member</p>	Not applicable

		<p>(i) Degree from a recognized University; (ii) At least 3 years experience in constructional or developmental activities as a supervisory capacity.</p> <p>Desirable: (i) Experience in Administration and Accounts; (ii) working knowledge of Urdu; (iii) Ability to read Persian and Arabic.</p> <p>Note:1- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Departments shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment to deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application.</p> <p>The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure bases on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
5. Assistant Accounts Officer	1*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-B (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band -2 Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13
Not applicable	By Promotion failing which by Deputation	<p>(A) Promotion: Accountant/Assistant(Accounts) with 6 years regular service in posts of Grade Pay- Rs.4200</p> <p>(B) Deputation:</p>	<p>(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman</p> <p>(ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority</p>	Not applicable

	<p>(a) Officers from Central Government or State Government or Union Territories Administration or Public Sector Undertaking or Autonomous or Statutory bodies etc.</p> <p>(i) holding analogous posts or above on regular basis</p> <p>(ii) with 6 years regular service in posts in Grade Pay Rs.4200 or equivalent and possessing the qualifications and experience;</p> <p>(b) Qualifications and Experience:- Essential: (i) CA (inter) or qualified ICWA or CFA or MBA (Finance) or Degree in Commerce from a recognized University; (ii) Five years experience in accounts, preparation of budget, budgetary control, procurement/ maintenance of stores, income-tax, final accounts in an office/institution of repute; (iii) Ability to operate accounts through computer software/experience of computer operation. Desirable: (i) Knowledge of Government Financial Rules and Administrative/establishment procedure; (ii) Adequate Knowledge of Waqf Act; (iii) Proficiency in Urdu. Note:1- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Departments shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment to deputation shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>Affairs - Member (iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member</p>	
--	---	--	--

	2	3	4	5	6	7	8
6. Assistant (Accounts)/ Accountant	3*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-B (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band - 2 Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200.	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience:- (a) Essential : (i) CA (inter) or qualified ICWA or CFA or MBA (Finance) or Degree in Commerce from a recognized University; (ii) Five years experience in accounts, practical knowledge of book keeping and final accounts, investments etc. or worked as Junior Accountant at Grade Pay-Rs.2400. (b) Desirable: (i) Elementary knowledge of Persian and Arabic; (ii) Adequate Knowledge of Waqf Act and Rules and procedure and ability to do correspondence work independently in English; (iii) Proficiency in Urdu.	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	By Promotion failing which by Direct Recruitment	Promotion: (i) Accounts Clerk with 10 years regular service in Pay Band-1 with Grade Pay - Rs.2400 or Upper Division Clerk having 10 years of regular service and out of which at least 5 years experience in Accounts matter; (ii) Adequate knowledge of Computer operation. Note: 1- Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note: 2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or recruitment, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service	i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member	Not applicable

		rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
7. Assistant (Legal)	1*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-B (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band -2 Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200.	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience: (a) Essential : (i) Bachelor Degree in Law from a recognized University; (ii) Five years experience in legal practice or office work regarding legal matters on the post of Upper Division Clerk; (b) Desirable: (i) Elementary knowledge of Persian and Arabic; (ii) Adequate Knowledge of Waqf Act and Rules and procedure and ability to do correspondence work independently in English; (iii) Proficiency in Urdu.	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	By Promotion failing which by Direct Recruitment	Promotion: (i) Upper Division Clerk with at least 10 years regular service in Pay Band-2 with Grade Pay Rs.2400 and have 5 year experience in dealing legal matter (ii) Adequate knowledge of Computers operating Note:1- Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or recruitment, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth	(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman (ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member (iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member	Not applicable

		Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
8. Assistant (Development) /Assistant.	1*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-B (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band - 2 Rs.9300 - 34800 plus Grade Pay of Rs. 4200.	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience: (a) Essential: (i) Degree from a recognized University; (ii) Adequate knowledge of Computer having typing speed of 35 words in English or 30 words in Hindi per minute on computer. (b) Desirable: (i) Elementary knowledge of Persian and Arabic; (ii) Adequate knowledge of Waqf Act and Rules and Procedure and ability to do correspondence work independently in English; (iii) Proficiency in Urdu.	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	By Promotion failing which by Direct Recruitment	Promotion: (i) Upper Division Clerk with at least 10 years regular service in Pay Band-1 with Grade Pay-Rs.2400 and (ii) Adequate knowledge of Computer having typing speed 35 words in English or 30 words in Hindi per minute in Computer. Desirable:- Typing speed 25 words in Urdu in Computer Note:1- Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or recruitment, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in	i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member	Not applicable

		the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	
--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
9. Stenographer	1*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-B (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band -2 Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4200.	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience: (a) Essential : (i) Degree or equivalent from recognised University; (ii) Ability to write in 100 words per minute in shorthand; and (iii) Adequate knowledge of Computer having typing speed 35 words in English or 30 words in Hindi per minute in Computer (b) Desirable: (i) Typing speed 25 words in Urdu in Computer; (ii) Proficiency in Urdu. Note: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration.	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	By Promotion failing which by Direct Recruitment	Promotion: (a) Essential: (i) Steno Typist/Upper Division Clerk with at least 10 years regular service in Pay Band-1 with Grade Pay-Rs.2400; (ii) Shorthand 100 words per minute; and (iii) Adequate knowledge of Computer having typing speed 35 words in	(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman (ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member (iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member	Not applicable

2201 42714-9

		<p>English or 30 words in Hindi per minute in Computer</p> <p>(b) Desirable: Typing speed 25 word per minute in Urdu in Computer.</p> <p>Note:1- Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or recruitment, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
10. Library, Documentation & Reference Assistant	1*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-B (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band -2 Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200.	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience: (a) Essential: (i) Degree in Library Science; (ii) Five years experience of working in a reputed Library; (b) Desirable: (i) Degree in Law; (ii) Working knowledge of Persian and Arabic; (iii) Knowledge of Waqf Law; and (iv) Proficiency in Urdu	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	By Promotion failing which by Direct Recruitment	<p>Promotion :</p> <p>(i) Upper Division Clerk with 10 years regular service in Grade Pay Rs.2400 ; (ii) 5 years experience in Library work; and (iii) Degree in Library Science.</p> <p>Note:1- Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by</p>	<p>(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman</p> <p>(ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member</p> <p>(iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member</p>	Not applicable

		<p>promotion.</p> <p>2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or recruitment, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
11. Assistant Programmer	1*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-B (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band -2 Rs.9300 - 34800 plus Grade Pay of Rs. 4200	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	<p>Qualifications and Experience:</p> <p>(a) Essential:</p> <p>(i) BCA or three years Diploma in Computer Application/ Post Graduate Diploma in Computer Application; (ii) Three years experience of Computer Application or Software Development; and (iii) Proficiency in English</p> <p>(b) Desirable:</p> <p>Working Knowledge of Hindi and Urdu.</p> <p>Note:1- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Union Territories Administration or Public Sector Undertaking or Autonomous or Statutory bodies etc.</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years regular service in posts in Pay Band-2 with Grade Pay – Rs.2400 or equivalent; and (iii) possessing the qualifications and</p>	Not applicable

						experience prescribed for direct recruits. Note:2- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
--	--	--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
Two years	Direct Recruitment	Not applicable	(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman (ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member (iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
12. Upper Division Clerk	3*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-C (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band - 1 Rs.5200 - 20200 plus Grade Pay of Rs.2400.	Not applicable	Between 18 and 25 years (The upper age limit for the Government servants would be 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience: (a) Essential: (i) Degree or equivalent from a recognized University; and (ii) At least 3 years experience in correspondence work in Government or Semi-Government Department (b) Desirable: Proficiency in Urdu.	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	By Promotion failing which by Direct Recruitment	Promotion: (i) Lower Division Clerk with at least 8 years regular service in Grade Pay- Rs.1900; (ii) Matriculation pass; and (iii) working knowledge of Computer, adequate knowledge of Urdu, Hindi and English. Note:1- Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman (ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member (iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member	Not applicable

		<p>Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or recruitment, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
13. Accounts Clerk	3*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-C (Non- Gazetted), Non- Ministerial	Pay Band-1 Rs.5200 - 20200 plus Grade Pay of Rs. 2400.	Not applicable	Between 18 and 25 years. (The upper age limit for the Government servants would be 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience: (a) Essential: (i) Degree in Commerce from a recognized University; (ii) Three years experience in the field of Accounts; (iii) Ability to operate accounts through computer; and (iv) Proficiency in Urdu (b) Desirable: Knowledge of Waqf Act and Rules.	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	By Promotion failing which by Direct Recruitment	<p>Promotion: (i) Lower Division Clerk/Accounts clerk with at least 8 years regular service in Grade Pay - Rs.1900; and (ii) Matriculation Pass Note:1- Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or recruitment, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure</p>	<p>(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman (ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member (iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member</p>	Not applicable

2201 5714-10

		based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
14. Lower Division Clerk	6*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-C (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band - 1 Rs.5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900.	Not applicable	(The upper age limit for the Government servants would be 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience: (a) Essential : (i) 12th Pass or equivalent; (ii) Adequate knowledge of Computer having typing speed 35 words in English or 30 words in Hindi per minute in Computer (b) Desirable: (i) Typing speed 25 words in Urdu in Computer; and (ii) Proficiency in Urdu.	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	By Promotion failing which by Direct Recruitment	Promotion: (a) Essential: (i) Officials with 3 years regular service in the pay scale of Rs. 5200-20200 in Grade Pay - Rs.1800 and Matriculation pass; (ii) Adequate knowledge of Computer having typing speed 35 words in English or 30 words in Hindi per minute in Computer (b) Desirable: (i) Typing speed 25 words in Urdu in Computer, and (ii) Proficiency in Urdu. Note:1- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration. Note:2- Deputationists shall not be eligible for	(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman (ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member (iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member	Not applicable

		<p>consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note:3- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or recruitment, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
15. Steno Typist	2*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-C (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band - 1 Rs.5200-20200 plus Grade Pay of Rs.1900.	Not applicable	Between 18 and 25 years (The upper age limit for the Government servants would be 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience: (a) Essential (i) 12th class pass or equivalent; (ii) One year Diploma or equivalent in Computer course from a Government recognised institutions; (iii) Shorthand at least 80 words per minutes; and (iv) Having typing speed 35 words in English or 30 words in Hindi per minute in Computer (b) Desirable: (i) Typing speed 25 words in Urdu in Computer ; and (ii) Proficiency in Urdu	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	By Promotion failing which by Direct Recruitment	<p>Promotion:</p> <p>(i) Officials with 3 years regular service in Grade Pay- Rs.1800; (ii) Matriculation pass; (iii) Knowledge of typing and Urdu; and (iv) at least six months Diploma Course or equivalent in Computer</p> <p>Note: 1- Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note:2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion or</p>	<p>(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman</p> <p>(ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member</p> <p>(iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member</p>	Not applicable

2201 57/14-11

		recruitment, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	
--	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8
16. Dispatch Rider/Driver- cum-Dispatch Rider	2*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group-C (Non- Gazetted), Non- Ministerial	Pay Band -1 Rs.5200- 20200 plus Grade Pay of Rs.1900.	Not applicable	Between 18 and 25 years (The upper age limit for the, Government servants would be 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience: (a) Essential : (i) Valid license for Driving Car/ three wheeler scooter; (ii) At least 3 years experience of Car Driving; and (iii) Matriculation pass with knowledge of English, Hindi and Urdu; (b) Desirable: Knowledge of motor mechanism. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Union Territories Administrations or Public Sector Undertaking or Autonomous or Statutory bodies etc.	Not applicable
9	10	11	12	13			
Two years	Direct Recruitment	Not applicable	(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman (ii) Deputy Secretary or Under Secretary,	Not applicable			

			Ministry of Minority Affairs - Member (iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member	
--	--	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8
17. Multi Tasking Staff (MTS)	3*(2014) *(Subject to variation and dependent on work load)	General Central Service Group - C (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band - 1 Rs.5200 - 20200 plus Grade Pay of Rs. 1800.	Not applicable	Between 18 and 25 years (The upper age limit for the Government servants would be 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt for the applications.	Qualifications and Experience: Essential: Matriculation pass or equivalent or ITI pass (Exact qualification will be specified in the advertisement as per the requirement of the work) Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Union Territories Administrations or Public Sector Undertaking or Autonomous or Statutory bodies etc.	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	Direct Recruitment	Not applicable	(i) Secretary, Central Waqf Council - Chairman (ii) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member (iii) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member	Not applicable

[F. No. 8/4/2010-Waqf]
RAKESH MOHAN, Jt. Secy.